इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना–14

(बिहार सरकार का एक स्वायतशासी संस्थान)

Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; Fax: 0612 – 2297225; Website: www.igims.org

ज्ञापांकः 4546 दिनांकः– 31/10/2020

प्रेषकः– संजय कुमार, वि0प्र0से0,
प्रशासी पदाधिकारी
इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।

सेवा में:–

1. प्रो0 (डॉ0) एन0 आर0 विश्वास, – अध्यक्ष
   निदेशक
   इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।
2. प्रो0 (डॉ0) के0 एच0राघवेन्द्र, – सदस्य
   डीन, (परीक्षा)
   इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।
3. प्रो0 (डॉ0) मनीष मंडल, – सदस्य
   चिकित्सा अधीक्षक, (I)
   इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।
4. प्रो0 (डॉ0) रंजीत गुहा, – सदस्य
   प्रिंसिपल/ वरीय प्रशासी पदाधिकारी
   इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।
5. डॉ0 खालिद महमूद, – सदस्य
   एसोसिएट प्रोफेसर (यूरोलॉजी)
   इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।
6. श्री संजय कुमार, – सदस्य सचिव
   प्रशासी पदाधिकारी
   इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।

विषयः– शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन के प्रति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 10.10.2020 को सम्पन्न शिकायत निवारण समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(संजय कुमार)
प्रशासी पदाधिकारी
इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना

ज्ञापांक– 4546/प्रशा0 दिनांक 31/10/2020

प्रतिलिपिः–(1)सभी संबंधित आवेदक पदाधिकारी/कर्मीयों को सूचनार्थ प्रेषित।

(2)निदेशक/सभी संकायाध्यक्ष/सभी प्राचार्य/सभी विभागाध्यक्ष/सभी चिकित्साध्यक्ष/सभी प्रशासी पदाधिकारी/ वित पदाधिकारी / भंडार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
अनुरोध है कि अपने– अपने अधिनस्त पदाधिकारी /कर्मीयों को अवगत करा देगें।

(3) संस्थान के वेवसाइट पर अपलोड हेतु S.E.(BME) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 31/10/2020
(संजय कुमार)
प्रशासी पदाधिकारी
इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना

संस्थान के आदेश संख्या 4211/प्रशा0 दिनांक 19.09.2020 द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में शिकायत निवारण समिति की पुनः बैठक दिनांक 10.10.2020 को आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

प्रो0(डॉ0) रंजीत गुहा, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, अवकाश में रहने के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

1. प्रो0 (डॉ0) एन0 आर0 विश्वास, निदेशक इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।	–	अध्यक्ष
2. प्रो0 (डॉ0) के0 एच0राघवेन्द्र, डीन, (परीक्षा) इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।	–	सदस्य
3. प्रो0 (डॉ0) मनीष मंडल, चिकित्सा अधीक्षक, (I) इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।	–	सदस्य
4. प्रो0 (डॉ0) रंजीत गुहा, प्रिंसिपल/ वरीय प्रशासी पदाधिकारी इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।	–	सदस्य
5. डॉ0खालिद महमूद, एसोसिएट प्रोफेसर (यूरोलॉजी) इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।	–	सदस्य
6. श्री संजय कुमार, प्रशासी पदाधिकारी इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।	–	सदस्य सचिव

शिकायत निवारण समिति की बैठक में पदाधिकारी/कर्मचारी से प्राप्त सेवा सम्बधी मॉग अभ्यावेदन पर जॉचोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया गया। शिकायत निवारण समिति के विचारोपरांत मॉग सम्बंधी अभ्यावेदन पर लिए गये निर्णय निम्नवत है।

क्रम संख्या	परिवादी पदाधिकारी/ कर्मचारी का नाम	सेवा संम्बधी माँग/समस्या	संजय कुमार,(A0)सह– सदस्य सचिव का प्रतिवेदन	शिकायत निवारण समिति का निर्णय
01.	श्री शेखर चन्द्र सिन्हा, वरीय प्रशासनिक सहायक	कनिय लेखा पदाधिकारी में प्रोन्नति हेतु	1. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के आदेश संख्या 5066 दिनांक 11.04.2019 के द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक अगले आदेश तक स्थगित रखी गई है। 2. जहॉ तक सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित करने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रशासन शाखा के नियुक्ति/स्थापना शाखा द्वारा प्रस्ताव दिये जाने पर निदेशक निर्णय ले सकते है। निदेशक के निर्णय उपरान्त शासी निकाय का अनुमोदन आवश्यक है।	सहमत। राज्य सरकार के निर्णय / आदेश के आलोक में अग्रेतर कारवाई की जायेगी।
02.	श्री रत्नेश्वर कुमार, कनिय प्रशासनिक सहायक	उच्च वर्गीय लिपिक में प्रोन्नति/ सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित कराने हेतु		सहमत। किन्तु अभी राज्य में आचार संहिता लागु है। अतएव निदेशक सीमित विभागीय परीक्षा के आयोजन हेतु मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित स्कीनिंग समिति से पत्राचार करेगें।
03.	श्री संजय कुमार, कनिय प्रशासनिक सहायक	उच्च वर्गीय लिपिक में प्रोन्नति/ सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित कराने हेतु		
04.	श्री विनय कुमार, कनिय प्रशासनिक सहायक	उच्च वर्गीय लिपिक में प्रोन्नति/ सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित कराने हेतु		
05.	श्रीमती अनिभा डे, Sr. Nursing Officer	A.NS. में प्रोन्नति हेतु	इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के आदेश संख्या 5066 दिनांक 11.04. 2019 के द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक अगले आदेश तक स्थगित रखी गई है।	सहमत। राज्य सरकार के निर्णय / आदेश के आलोक में अग्रेतर कारवाई की जायेगी।

06.	मो0 शकील अहमद, लैब टेक्नीशियन श्री प्रताप कुमार, लैब टेक्नीशियन श्री शशि भूषण कुमार, लैब टेक्नीशियन श्री प्रमोद कुमार, लैब टेक्नीशियन	लैब टेक्नीशियन के पद एंव वेतनमान में संशोधन हेतु।	इस संदर्भ में कार्यवाह सहायक श्री राकेश रंजन द्वारा बताया गया कि गठित समिति द्वारा दिनांक 11.09.2019 को बैठक आहुत किया गया था। उक्त बैठक की कार्यवाही को पत्रांक 303/प्रशासन दिनांक 14.01.2020 के द्वारा दिनांक 17.01.2020 को आहुत SFC की बैठक में अनुमोदन हेतु Agenda भेजी गई थी। SFC से अनुमोदन प्राप्त है। अब संबंधित प्रस्ताव को शासी निकाय के अनुमोदन हेतु जाना शेष है। इस प्रस्ताव को शासी निकाय के अगामी बैठक में रखने हेतु प्रशासन शाखा को निदेशित किया जा सकता है।	सहमत। इस हेतु प्रशासन शाखा प्रस्ताव/एजेंडा तैयार कर आगामी शासी निकाय की बैठक में अनिवार्य रुप से रखेगें। इसकी तैयारी पूर्व से ही कर ली जाए।
07.	श्री उमा शंकर सिंह, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	तदर्थ नियुक्ति की गणना करते हुए योगदान की तिथि से सेवा नियमितकरण हेतु।	सरकारी नियमानुसार तदर्थ रुप से की गयी सेवा की गणना नियमित नियुक्ति में नहीं की जाती है।	मॉग आवेदन अस्वीकृत। सरकारी नियमानुसार तदर्थ रुप से की गयी सेवा की गणना नियमित नियुक्ति में नहीं की जाती है।

08.	श्री शम्भु शरण Store Keeper	कनिय भंडार पदाधिकारी में प्रोन्नति/ प्रभार दिलाने हेतु	वर्तमान में नियमित प्रोन्नति हेतु DPC की बैठक पर रोक है। उच्चतर पद पर कनीय कर्मी को कार्य करने हेतु अधिकृत करना निदेशक के अधिकार क्षेत्र में है। निदेशक कार्य हित में निर्णय ले सकते है।	1. राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति हेतु DPC की बैठक पर रोक लगाई गयी है। 2. इन्हें पूर्व में ही दो प्रशाखा प्रभार दिया गया है। विधिवत रुप से सम्बंधित प्रशाखा से नियमानुसार प्रस्ताव आने पर विचार किया जायेगा।
09.	श्री रामदेव माँझी, नीजि सहायक	01. 3rd MACPs के संबंध में 02.नीजि सचिव के पद पर प्रोन्नति हेतु	1.सरकारी नियमानुसार मामला की जाँच संबंधित स्थापना सहायक द्वारा की जा रही है। 2.प्रोन्नति पर वर्तमान में रोक है।	1. राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति हेतु DPC की बैठक पर रोक लगाई गयी है। 2. तृतीय MACPs के मॉग के संबंध में नियमानुसार जॉचोपरान्त आवश्यक कारवाई की जायेगी।
10.	श्री अनिल कुमार चौधरी, वित्त एंव मुख्य लेखा पदाधिकारी	वित्त सलाहकार के पद पर नियुक्ति /प्रोन्नति हेतु	पूर्णरूपेण प्रोन्नति के पद पर सीधी भर्ती/अनुबंध पर नियुक्ति नही की जा सकती है।	चुँकि नियुक्ति प्रकिया शुरू की जा चुकी है, अतएव प्रशासन शाखा सरकारी नियमानुसार तुरंत आवश्यक कारवाई करते हुए संशोधित शुद्विपत्र जारी करेगी तथा चयन के उपरान्त निर्गत किये जाने वाले नियुक्ति पत्र में इस आशय को अंकित करते हुए सशर्त (Conditional) नियुक्ति पत्र जारी करेगी।

11.	श्री प्रवीण कुमार , नीजि सहायक	प्रोन्नति की तिथि में सुधार/पूर्व तिथि से प्रोन्नति	नियमानुसार माँग सही नही है। पूर्व में ही इन्हें देय तिथि से पूर्व प्रोन्नति दी जा चुकी है।	1. स्टोनोग्राफर/आशुलिपिक के पद से नीजि सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु सरकारी प्रावधान स्वतः स्पष्ट है। 2. संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संस्थान के पत्रांक 4251/प्रशा0 दिनांक 19-11-2015 द्वारा दिनांक 20-11-2015 को विभागीय प्रोन्नति की आहूत बैठक के अन्तर्गत स्टोनोग्राफी टेस्ट (अंग्रेजी/हिन्दी) में शामिल होने हेतु श्री विजय कुमार, श्री शमशीर आलम, श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सुर्जीत चार्ली को निदेशित किया गया था। उक्त पत्र मे कही भी नीजि सहायक के पद पर प्रोन्नति किये जाने के लिए सीमित विभागीय परीक्षा होने का ज्रिक नही है। पुनः संस्थान के पत्रांक 3557/प्रशा0 दिनांक 10-06-2016 द्वारा दिनांक 14-06-2016 को नीजि सहायक के पद पर प्रोन्नति किये जाने के लिए आयोजित बैठक हेतु निर्गत पत्र में भी सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने का ज्रिक नही है। 3. श्री प्रवीण कुमार एवं सुजीत चार्ली के प्रोन्नति से संबंधित अभ्यावेदन के संबंध में सरकारी नियमों के आलोक में प्रशासन शाखा समुचित जॉच कर अपना प्रतिवेदन एक पक्ष के अंदर समर्पित करेगी।
12	श्री सुजीत चार्ली, नीजि सहायक			

Khalid

13.	मोहम्मद मुनीर हुसैन	भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति वरीयता निर्धारण।	इससे संम्बंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सं0 5872/2015 निर्णय हेतु लंबित है। संस्थान अपना पक्ष प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में दायर कर चुका है। निर्णय की प्रतिक्षा है। निर्णय के फलाफल से मामले का निष्पादन किया जायेगा।	याचिका कर्ता द्वारा अपनी रीट याचिका वापस लेने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी के सेवा संबंधी मॉग पर विधि सम्मत कारवाई करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी। समिति के अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार कारवाई की जा सकेगी।
14.	श्री रवि शंकर गुप्ता,			
15.	श्री शील राज विप्लव			

16.	श्री विजय कुमार	1. देय प्रोन्नति तिथि 2. संशोधन वरीयता का निर्धारण 3. कैडर परिर्वतन	दिनांक 11-02-2002 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय व अनुशंसा की कार्यवाही प्रतिवेदन के आलोक में संस्थान के ज्ञापांक 1082/प्रशा0 दिनांक 11-03-2002 के द्वारा श्री रामदेव मॉझी को तत्कालिक प्रभाव से सभी वित्तीय लाभ सहित नीजि सहायक के पद पर प्रोन्नति दी गई थी। अतएव उक्त आलोक में उसी तर्ज पर नैसर्गिक न्याय के तहत दिनांक 11.03.2002 से ही विजय कुमार को भी सभी वित्तीय लाभ सहित नीजि सहायक के पद पर प्रोन्नति दी जा सकती है। शमशीर आलम को भी दिनांक 18.06.2002 से सभी वित्तीय लाभ सहित नीजि सहायक के पद पर प्रोन्नति देकर निजी सहायक का समेकित वरीयता सूची का निर्माण किया जा सकता है।	शिकायत निवारण समिति जॉच प्रतिवेदन से सहमत है। प्रस्ताव अनुमोदित। प्रशासन शाखा आवश्यक कारवाई करेगी।
17.	श्री शमशीर आलम			

अन्य प्रस्ताव

क्रम संख्या	संजय कुमार, प्रशासी पदाधिकारी,–सह– सदस्य सचिव द्वारा रखे गये अन्य प्रस्ताव	शिकायत निवारण समिति का निर्णय
01.	पदाधिकारी /कर्मचारी से अबतक प्राप्त शिकायत अभ्यावेदन में वर्णित शिकायतों एवं संस्थान द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का उदाहरण दिये जाने के आलोक में। 1. संस्थान के पत्र संख्या 138/प्रशासन दिनांक 12.01.1996 की अनुमान्यता/वैधता की जाँच सरकारी नियमानुसार करायी जा सकती है। 2. संस्थान के पत्र 4306/प्रशासन दिनांक 28.11.1998 की अनुमान्यता/वैधता व गणना की जाँच तथा पद संम्बंधी की गयी अंकन की जाँच लेखा शाखा सें करायी जा सकती है।	सहमत व प्रस्ताव अनुमोदित। प्रशासन शाखा एवं लेखा शाखा संयुक्त रुप से इसकी जॉच करेगी।
02.	सभी पदाधिकारियों / कर्मचारियों को ससमय सरकारी नियमों व प्रक्रियाओं की जानकारी हेतु समय– समय पर प्रशिक्षित किया जा सकता है जिससे कि उनकी कार्यदक्षता व कार्यकुशलता बनी रह सके। इस हेतु Training Schedule बनाते हुये सेवा अवधि प्रशिक्षण पर भेजा जा सकता है।	सहमत व प्रस्ताव अनुमोदित। प्रशासन शाखा तुरंत अग्रेतर कारवाई करते हुए Training Schedule तैयार करेगी।

03	संस्थान में कार्यरत / सेवा निवृत पदाधिकारी एवं कर्मचारी के द्वारा सरकारी सेवा के दौरान बरती गयी लापरवाही , अनियमितता, कर्त्तव्यहीनता, गवन , दुर्विनियोग आदि के लिए सरकारी नियम के तहत CCS (conduct)Rule 1964 के तहत कारवाई करने हेतु एक आरोप / निगरानी कोषांग के गठन का प्रस्ताव है जिसकी संरचना का गठन एवं उक्त कोषांग हेतु प्रभारी पदाधिकारी / कर्मचारी को नामित करने हेतु निर्णय लिया जा सकता है।	प्रस्ताव अनुमोदित। प्रशासन प्रशाखा अविलम्ब इस हेतु कारवाई करेगी।

सधन्यवाद बैठक की कारवाई समाप्त की गयी।

श्री संजय कुमार,
प्रशासी पदाधिकारी
इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।

Khalid
डॉ0खालिद महमूद,
एसोसिएट प्रोफेसर (यूरोलॉजी)
इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना

(अवकाश में रहने के कारण अनुपस्थित)
प्रो0 (डॉ0) रंजीत गुहा,
प्रिंसिपल/ वरीय प्रशासी पदाधिकारी
इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना

प्रो0 (डॉ0) मनीष मंडल,
चिकित्सा अधीक्षक, (I)
इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।

10/10/20
प्रो0 (डॉ0) के0 एच0राघवेन्द्र,
डीन, (परीक्षा)
इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना

10/10/2020
प्रो0 (डॉ0) एन0 आर0 विश्वास,
निदेशक
इ0गॉ0आ0आयु0सं0 पटना।